संयुक्त आयुक्त

309
28/01/13

24/1/13
(दिलीप जावलकर)
आबकारी आयुक्त
उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड शासन
आबकारी अनुभाग
संख्या 57/XXIII/2013/04(54)/2012
देहरादून: दिनांक: 23 जनवरी, 2013

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1 सन्, 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 सपठित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड राज्य में फल आधारित उद्योगों हेतु विन्टनरी स्थापित किये जाने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है :–

1. विन्टनरी की स्थापना हेतु अनुज्ञापन प्राप्त करने के लिए वी–1 अनुज्ञापन शुल्क ₹ 5,000/– होगा।
2. वाईन बनाने हेतु दिये जाने वाले वी–2 अनुज्ञापन के लिए शुल्क ₹ 5,000/होगा।
3. विन्टनरी निर्माण (वी–1) लाइसेन्स प्रदान करने हेतु अनुज्ञापन निर्गत करने की समय सीमा आवेदन किये जाने की तिथि से 30 दिन होगी।
4. प्रबलीकरण (Fortification) हेतु मिश्रित करने वाली स्प्रिट या ब्राण्डी विन्टनरी परिसर के बाहर से आयात न कर उक्त न्यूट्रल स्प्रिट/वाईन का सम्बन्धित विन्टनरी परिसर में ही उत्पादन कर उपयोग किया जायेगा।
5. विन्टनरी में नियुक्त आबकारी विभाग के कार्मिकों के कुल देय, विन्टनरी द्वारा राज्य में की गयी कुल निकासी पर देय आबकारी राजस्व के 10 प्रतिशत से अधिक होने पर उक्त अतिरिक्त धनराशि विन्टनरी द्वारा दिये जाने की व्यवस्था में शिथिलता देते हुये विन्टनरी की स्थापना के वर्ष से आगामी 10 वर्षों तक छूट प्रदान की जायेगी।
6. उत्तराखण्ड राज्य में विन्टनरी हेतु एफ0 एल0–03 अनुज्ञापन शुल्क न्यूनतम ₹ 10,000/– के अधीन रहते हुए, एक वर्ष या उसके भाग के लिए बाटलिंग फीस निम्नलिखित धारिता की बोतलों में निम्नलिखित दर से उद्गृहीत की जायेगी :–

धारिता		बाटलिंग फीस
750 ml	-	₹ 0.50
375 ml	-	₹ 0.25
180 ml	-	₹ 0.15
90 ml	-	₹ 0.10
50 ml	-	₹ 0.05

उपायुक्त (प्रव0)
प्रेषित
28/01/2013

7. उत्तराखण्ड राज्य में विन्टनरी हेतु एफ0 एल0–01 अनुज्ञापन शुल्क ₹ 10,000/– प्रति वर्ष या वर्ष के भाग के लिए होगा।

मुख्य (सहा0 (प्रव0)
समस्त जिला आबकारी अधिकारी/उप आबकारी आयुक्त/आबकारी निरीक्षक को प्रेषित हो।

क्रमशः.........2

8. उत्तराखण्ड राज्य में निर्मित वाईन हेतु एफ0 एल0–02 डब्लू अनुज्ञापन शुल्क ₹ 10,000/– होगा एवं एफ0 एल0–2 अनुज्ञापन पर ली जाने वाली लाईसेंस फीस एक्स वाईनरी प्राइज की 2 प्रतिशत होगी।

9. उत्तराखण्ड राज्य में निर्मित वाईन हेतु एक्साइज ड्यूटी ₹ 5 प्रति बल्क ली०, निर्यात शुल्क ₹ 0.05 प्रति बल्क ली० व मूल्यवर्धित कर (वैट) 5 प्रतिशत होगा।

10. उत्तराखण्ड राज्य में वाईन उद्योग को बढ़ावा दिये जाने हेतु रिटेल काउण्टर खोलने की वर्तमान व्यवस्था को अधिक सुगम किये जाने हेतु विन्टनरी अनुज्ञापी को उसकी मांग के अनुसार प्रत्येक जनपद में उत्तराखण्ड राज्य में निर्मित वाईन के फुटकर अनुज्ञापन तथा डिपार्टमेन्टल स्टोर, जिसकी ग्रोसिरी की वार्षिक बिक्री का टर्नओवर ₹ 5,00,000/– से ऊपर है तथा वह व्यापार कर विभाग में रजिस्टर्ड हो, को वाईन की बिक्री के अनुज्ञापन जिलाधिकारी के स्तर से स्वीकृत किये जायेंगे। ऐसे अनुज्ञापनों की लाईसेन्स फीस ₹ 5,000/– वर्ष या वर्ष के भाग के लिये होगी तथा यह भी प्रतिबन्ध होगा कि उपरोक्त दोनों प्रकार के अनुज्ञापनों में केवल सील बन्द बोतलों की बिक्री ही अनुमन्य होगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त सैनिक कल्याण विश्राम गृह, उत्तराखण्ड राज्य सरकार के उपक्रम यथा गढ़वाल मण्डल विकास निगम तथा कुमाऊँ मण्डल विकास निगम जो कि पर्यटन व्यवसाय से जुडे है, को इनके बिक्री केन्द्रों (Souvenir Shops) में सील बन्द बोतलों में तथा अपने पर्यटक आवास गृह से उत्तराखण्ड में निर्मित वाइन की बिक्री हेतु ₹5,000/– प्रतिवर्ष या वर्ष के भाग के लिए अनुज्ञापन शुल्क पर सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा अनुज्ञापन प्रदान किया जायेगा।

उपरोक्त वर्णित सैनिक कल्याण विश्राम गृह एवं पर्यटक आवास गृह के लिए ₹ 5,00,000/–मात्र की वार्षिक बिक्री के टर्नओवर का प्रतिबन्ध लागू नही होगा।

फुटकर दुकानों (वाईन) के निर्धारण में दुकानों की संख्या व स्थित नियमावली,1968 तत्सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या–311/XXIII/2008/18 2008/देहरादून, दिनांकः 16.6.2008 तथा तत्समय लागू समस्त नीति/नियम का पालन करना बाध्यकारी होगा।

विन्टनरी उद्योग की स्थापना मद्य निषेध क्षेत्रों में नहीं की जायेगी।

विन्टनरी परिसर में वाइन टूरिज्म को बढ़ावा दिये जाने हेतु विन्टनर के आवेदन पर वाईन की सील बन्द बोतलों की बिक्री तथा पिलाये जाने की सुविधा जिलाधिकारी द्वारा दी जायेगी तथा उक्त हेतु अनुज्ञापन शुल्क ₹ 10,000/–वर्ष या वर्ष के भाग के लिए देय होगा।

11. उत्तराखण्ड राज्य में विनिर्मित वाईन पर लेबल रजिस्ट्रेशन फीस ₹ 100/–होगी। वाईन की बोतलों में लगाये जाने वाला लेबल उत्तर प्रदेश बॉटलिंग ऑफ फॉरन लिकर रूल्स–1969 में दी गयी व्यवस्था तथा इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या–434/देहरादून, दिनांकः 19.4.2001 के अनुसार होगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त वाईन की बोतलों के लेबल पर "फल का नाम" (जिससे वाईन निर्मित हुयी हो) व "उत्तराखण्ड राज्य में उत्पादित फलों से विनिर्मित" का अंकन होना अनिवार्य होगा।

क्रमशः.......3

12. उत्तराखण्ड राज्य में उत्पादित वाईन पर असेस्मेन्ट शुल्क ₹ 1/—प्रति (750 एम0एल0 मानक) बोतल देय होगा ।

13. उपरोक्त प्रस्तावित शुल्क/टैक्स आगामी 5 वर्ष हेतु निर्धारित है, इस समयावधि के भीतर उपरोक्त प्रस्तावित शुल्क/टैक्स अपरिवर्तनीय रहेंगे, तथा विन्टनरी नीति उक्त सीमा तक आबकारी नीति वर्ष, 2012—13 के प्राविधानों को अतिक्रमित करेगी।

14. पर्वतीय क्षेत्रों में विन्टनरी उद्योग को बढावा दिये जाने हेतु प्रस्तावित नीति में उल्लिखित शुल्क/फीस में (वैट एवं एक्साइज ड्यूटी को छोडकर) 50 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी। पर्वतीय क्षेत्रों का निर्धारण पर्वतीय उद्योग नीति के अनुसार होगा।

15. विन्टनरी उद्योग हेतु खाद्य प्रसंस्करण, उद्यान व उद्योग विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा जारी समस्त योजनाएं उत्तराखण्ड के विन्टनर्स के लिए अनुमन्य होंगी, साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में विन्टनरी उद्योग को बढ़ावा दिये जाने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों हेतु लागू उद्योग नीति के अनुरूप सुविधाएं अनुमन्य होंगी

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

संख्या 57 (i)/XXIII/2012/04(54)/2012 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल एवं कुमाऊ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
4. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी जनपद—हरिद्वार को अधिसूचना की प्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित कि कृपया अधिसूचना का प्रकाशन असाधारण गजट में मुद्रित कराते हुए इसकी 100 प्रतियां सचिव, आबकारी उत्तराखण्ड शासन, 4—सुभाष रोड़ देहरादून तथा 100 प्रतियां आबकारी आयुक्त, गांधी रोड़, देहरादून को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. निदेशक एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त अधिसूचना को सार्वजनिक किये जाने हेतु शासकीय वेबसाईट में आज ही प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिलीप जावलकर)
अपर सचिव